

न्यायालय- सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला- पाली

पीठासीन अधिकारी- श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017

तारीख अंतिम निर्णय/डिक्री- 15/06/2022

वादी-

धीसूलाल पुत्र दरगारामजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान, तहसील- देसूरी, जिला- पाली (राज0)


-: विरुद्ध :-

प्रतिवादीगण-

- 1- नारायणलाल पुत्र रामाजी,
- 2- शंकरलाल पुत्र रामा उर्फ रामलालजी,
- 3- नेमाराम पुत्र राजा उर्फ रामलालजी,
- 4- सजनो पत्नी रामाजी,
- 5- लालाराम पुत्र लच्छारामजी,
- 6- दिनेश कुमार पुत्र गुलावरामजी,
- 7- प्रकाश पुत्र इन्दारामजी,
- 8- कीकाराम पुत्र नवाजी, जातिगण तमाम सरगरा निवासीगण- मौरखा, तहसील- देसूरी,
- 9- दशरथ कुमार पुत्र चुन्नीलालजी,
- 10- नरेश कुमार पुत्र चुननीलालजी, जातिगण सरगरा, निवासीगण- मादा, तहसील- देसूरी।
- 11- बस्तीमल पुत्र धीसूलालजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान, तहसील- देसूरी
- 12- भावेश पुत्र धीसूलालजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान, तहसील- देसूरी,
- 13- मांगीलाल पुत्र हीराजी, जाति- सरगरा, निवासी- सादडी, तहसील- देसूरी,

---कमश: पेज- 2 पर.....



  
सहायक कलेक्टर  
(ए.डी.ओ.) देसूरी (पाली)



—कमशः अंतिम निर्णय/डिक्की पेज... ( 2 )...वादी- धीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसूरी

14- राजाराम पुत्र मोतीलाल, जाति- मेघवाल, निवासी- सिन्दरली, तहसील- देसूरी,

15- तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

—: वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 :-

उपस्थिति-

- 1- श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता वादी की ओर से।
- 2- श्री शान्तनु कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से।
- 3- श्री श्रवणसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4, 14 की ओर से।
- 4- श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12, 13 की ओर से।
- 5- प्रतिवादी संख्या 4,8,10,11,15 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
- 6- तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी) की ओर से सरकारी पैरोकार।

—: निर्णय :-  
(अंतिम डिक्की)

दिनांक-15/06/2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि- वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत इस इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम मौरखा, तहसील- देसूरी, जिला- पाली राज. मे स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 11 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 175 क्षेत्रफल- 0.0800 हैक्टर किस्म जाव अब्बल, खसरा नम्बर- 176 क्षेत्रफल- 0.1600 हैक्टर किस्म जाव अब्बल चाही प्रथम, खसरा नम्बर- 177 क्षेत्रफल- 0.2500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अब्बल, खसरा नम्बर- 198 क्षेत्रफल- 0.3200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अब्बल, खसरा नम्बर- 200/1 क्षेत्रफल- 0.0700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर- 201 क्षेत्रफल- 1.7100 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अब्बल, खसरा नम्बर- 202 क्षेत्रफल- 1.4700 हैक्टर किस्म जाव अब्बल चाही प्रथम, खसरा नम्बर- 204 क्षेत्रफल- 0.6200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अब्बल,

—कमशः पेज- 3 पर.....



सहायक कलेक्टर  
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

—कमशः अतिम निर्णय/डिडी पेज... ( 3 )...वादी- धीरूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देवूरी

खसरा नम्बर- 206 क्षेत्रफल- 0.6500 हैक्टर किस्म जाव अब्बल चाही प्रथम कुल खसरा- 9 कुल क्षेत्रफल- 5.3300 हैक्टर, लगान रूपयां-123.29 विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद-पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत है। जिस उक्त खसरान की आराजियात कृषि भूमि को वाद-पत्र मे आगे "वादग्रस्त आराजियात" संबोधित किया जा रहा है।

वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से लगाय- 11 की संयुक्त खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य की है, जिस उक्त वादग्रस्त कुल आराजियात मे संयुक्त रूपेण वादी की खातेदारी आधिपत्य का  $62/1599 + 20/533 + 93/533 = 401/1599$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-1 एक की खातेदारी का  $187/10660$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-2 दो की खातेदारी का  $187/10660+374/1599+24/533=2749/31980$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 3 तीन की खातेदारी का  $187/10660 + 374/15990 + 62/1066 = 3169/31980$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 4 चार की खातेदारी का  $187/10660$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-5 पांच की खातेदारी का  $187/2665 + 374/7995 + 53/533 = 346/1599$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 6 छः की खातेदारी का  $31/533$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-7 सात की खातेदारी का  $187/2665 + 374/7995 = 187/1599$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 8 आठ की खातेदारी का  $31/1599$  वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 9 नौ की खातेदारी का  $16/533$  वां हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या- 10 व 11 दस व ग्यारह की खातेदारी का  $16/533 + 62/1066 = 47/533$  वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का विद्यमान है, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है।

वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड विभाजन नही हुआ है। वादी वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा (विभाजन) करवा कर अपनी खातेदारी के  $401/1599$  वां हिस्से का पृथक बंट कराये जाने हेतु वाद 88. 53 राज काशत अधिनियम के तहत प्रस्तुत

—कमशः पेज- 4 पर—




सहायक कलेक्टर  
(प.स. टी.ओ.) देवूरी (प.स.टी.)

करता है जब तक वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हो जाता एवं विधिक विभाजन हुए बिना किसी भी सह खातेदार, हिस्सेदार प्रतिवादीगण को किसी भूमि विशेष पर कोई निर्माण कार्य करने खुर्द बुर्द कराने का कानूनन अधिकार नहीं है। फिर भी वादी के खातेदारी हिस्से कब्जा काशत में प्रतिवादीगण नाजायज दखलंदाजी करने पर आमादा है , उक्त कृत्य करने का कानूनन इन्हे कोई अधिकार नहीं है अवैध कृत्य से वादी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। वादी ने वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी 188, 92ए राज. काशतकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाद मे चाहे अनुसार बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्की सादिर किये जाने हेतू अनुतोष चाहा गया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई के प्रकरण हाजा मे न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन अनुसार दिनांक- 29/09/2021 को निर्णय पारित किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्की सादिर की गई कि- वादग्रस्त आराजी ग्राम मौरखा, तहसील- देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर- 175, 176, 177, 198, 201/1, 201, 202, 204, 206 कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल- 5.3300 हैक्टर, लगान रूपयां- 123.29 मे वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का दर्ज हिस्सा एवं मौके पर अपने अपने बंट पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवागण के खातेदारी घोषित की जाकर वाद मे वादी के अनुतोष एवं प्रतिवादीगण संख्या- 1,2,3,5,6,7,9,12,13 एवं 14 की सहमति के जबाबदावा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा की प्राथमिक डिग्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी का 347/1599 वां हिस्सा पृथक कर एवं प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी का 49/533 वां हिस्सा खातेदारी का एवं प्रतिवादी संख्या 12 की खातेदारी का 6/533 वां हिस्सा पृथक किया जाकर मौके पर बाई मिट्स एण्ड बोउन्ट्स बंटवाडे की प्राथमिक डिग्री जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी तदनुसार बंटवाडा कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तीन प्रतियो मे प्रस्तुत करे। तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्राथमिक डिक्की की पालना मे बंटवाडा प्रस्ताव अस्पष्ट एवं पूर्ण भेजे

—कमशः पेज- 5 पर.....



  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—कमशः अंतिम निर्णय/डिकी पेज... ( 5 )...वादी- घीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसूरी

जाने से संशोधित बंटवाडा प्रस्ताव न्यायालय द्वारा चाहा गया, जिस पर तहसीलदार, देसूरी द्वारा न्यायालय को यह जानकारी प्रेषित की गई कि प्रतिवादी संख्या-6 समाराम पुत्र गोमाजी द्वारा उसकी खातेदारी का 31/533 वां हिस्सा बस्तीमल पुत्र घीसूलाल को जरिये ना0मा0 सं0- 783 दिनांक-29/11/19 के बेचने पर उक्त हिस्सा बस्तीमल पुत्र घीसूलाल को प्राप्त होने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई एवं समाराम पुत्र गोमाजी के स्थान पर कंता बस्तीमल पुत्र घीसूलाल के नाम ना.मा. हो चुका है अतः प्रतिवादी संख्या-6 समाराम पुत्र गोमाजी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं रहने से उसका नाम डिलीट किया जाता है।

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा पुनः बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

बंटवाडा प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षकार को सुना गया। वकील वकुलाय उभय पक्षकार बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है एवं बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद में अंतिम डिकी सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। अतः माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिकी योग्य न्याय संगत मानती हैं।


#### —: आदेश :-

अतः मौजा ग्राम- मौरखा, तहसील- देसूरी में स्थित खसरा नम्बर- 175, 176, 177, 198, 201/1, 201, 202, 204, 206 कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल- 5.3300 हैक्टर, लगान रूपयां- 123.29 की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :-

(1)- घीसूलाल पुत्र दरगाराम हिस्सा- 116/171, जाति- मेघवाल, सा. गुडा जाटान खातेदार, बस्तीमल पुत्र घीसूलाल हिस्सा- 49/171 जाति- मेघवाल सा. गुडा जाटान खातेदार, भावेश कुमार पुत्र घीसूलाल हिस्सा- 2/57 जाति-

—कमशः पेज- 6 पर.....



  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—कमशः अंतिम निर्णय/डिडी पेज... ( 6 )...वादी- घीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसुरी

मेघवाल सा. गुडा जाटान खातेदार-

खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान रू०
176	0.1600 हैक्टेयर	चा.प्र.जा.अ.	
204	0.6200 हैक्टेयर	" "	
200/1	0.0700 हैक्टेयर	चा.प्र.	
198/2	0.1600 हैक्टेयर	चा.प्र.जा.अ.	
201/1	0.4400 हैक्टेयर	" "	
202/1	0.0900 हैक्टेयर	" "	
206/1	0.1600 हैक्टेयर	" "	
177/1	0.0100 हैक्टेयर	जा.अ.	

कुल खसरो-08 कुल क्षेत्रफल- 1.7100 हैक्टेयर कुल लगान रू०- 43.29

(2)- किकाराम पुत्र नवाराम हिस्सा-8/181 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, दशरथ पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 39/362 जाति- सरगरा सा.मादा खातेदार, दिनेश पुत्र गुलाब हिस्सा 187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र गुलाबराम हिस्सा- 35/1448 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, नेमा पुत्र रामलाल हिस्सा- 187/7240 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, नेमाराम पुत्र रामा हिस्सा- 807/7240 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, नेमाराम पुत्र रामलाल हिस्सा- 187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, नरेश पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 4/181 जाति- सरगरा सा.मादा खातेदार, नारायणलाल पुत्र रामा हिस्सा-187/7240 जाति सरगरा सा.देह खातेदार, प्रकाश पुत्र इन्दाराम हिस्सा-5/181 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र हीराजी हिस्सा-1/362 जाति- सरगरा सा. सादडी खातेदार, राजाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा-31/362 जाति- मेघवाल सा. सिन्दरली खातेदार, लालाराम पुत्र लच्छा हिस्सा- 1091/3620 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, शंकर पुत्र रामलाल हिस्सा-12/181 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र रामा हिस्सा- 561/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, सजनो पत्नि रामा हिस्सा-

—कमशः पेज- 7 पर.....



सहायक कलेक्टर  
(एस डी ओ) देसुरी (पाली)

—कमरा: अंतिम निर्णय/डिकी पेज... ( 7 )...वादी- धीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व  
अन्य राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसूरी

187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार-

खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान रू०
175	0.0800 हैक्टेयर	जा.अ.	
177	0.2400 हैक्टेयर	चा.प्र.जा.अ.	
198	0.1600 हैक्टेयर	" "	
201	1.2700 हैक्टेयर	" "	
202	1.3800 हैक्टेयर	" "	
206/2	0.1600 हैक्टेयर	" "	
206	0.3300 हैक्टेयर	" "	

कुल खसरा-7 कुल क्षेत्रफल- 3.6200 कुल लगान रू०- 80.600

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। तदनुरूप अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।



सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर, देसूरी

निर्णय आज दिनांक-15/06/2022 को खुले न्यायालय मे  
को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर, देसूरी

## मूल वाद मे अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी- श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)  
राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017

### वादी-

घीसूलाल पुत्र दरगारामजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान, तहसील-  
देसूरी, जिला- पाली (राज0)

-: विरुद्ध :-

### प्रतिवादीगण-

- 1- नारायणलाल पुत्र रामाजी,
- 2- शंकरलाल पुत्र रामा उर्फ रामलालजी,
- 3- नेमाराम पुत्र राजा उर्फ रामलालजी,
- 4- सजनो पत्नी रामाजी,
- 5- लालाराम पुत्र लच्छारामजी,
- 6- दिनेश कुमार पुत्र गुलाबरामजी,
- 7- प्रकाश पुत्र इन्दारामजी,
- 8- कीकाराम पुत्र नवाजी, जातिगण तमाम सरगरा निवासीगण- मौरखा,  
तहसील- देसूरी,
- 9- दशरथ कुमार पुत्र चुन्नीलालजी,
- 10- नरेश कुमार पुत्र चुननीलालजी, जातिगण सरगरा, निवासीगण- मादा,  
तहसील- देसूरी।
- 11- बस्तीमल पुत्र घीसूलालजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान,  
तहसील- देसूरी
- 12- भावेश पुत्र घीसूलालजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गुडा जाटान, तहसील-  
देसूरी.

—कमश: पेज- 2 पर.....



*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(एन डी ओ ) देसूरी (पाली)

—कमशः अंतिम डिक्की पर्चा पेज... ( 2 )...वादी- घीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य  
राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसूरी

- 13- मांगीलाल पुत्र हीराजी, जाति- सरगरा, निवासी- सादडी, तहसील- देसूरी,  
14- राजाराम पुत्र मोतीलाल, जाति- मेघवाल, निवासी- सिन्दरली, तहसील-  
देसूरी,  
15- तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

—: वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 :-

मुकदमा नम्बर- राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017


यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कर्तई रूबरू हमारे वकील श्री शंकरलाल मीणा मिनजानिव मुद्दई श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता मुद्दायलाहीम श्री शान्तनु कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से, श्री श्रवणसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4, 14 की ओर से, श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11, 12 की ओर से, तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी) की ओर से सरकारी पैरोकार ++ पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि- अतः मौजा ग्राम- मौरखा, तहसील- देसूरी में स्थित खसरा नम्बर- 175, 176, 177, 198, 201/1, 201, 202, 204, 206 कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल- 5.3300 हैक्टर, लगान रूपयां- 123.29 की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंगन नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय डिक्की निम्न प्रकार सादिर की जाती है :-

- (1)- घीसूलाल पुत्र दरगाराम हिस्सा- 116/171, जाति- मेघवाल, सा. गुडा जाटान खातेदार, बस्तीमल पुत्र घीसूलाल हिस्सा- 49/171 जाति- मेघवाल सा. गुडा जाटान खातेदार, भावेश कुमार पुत्र घीसूलाल हिस्सा- 2/57 जाति- मेघवाल सा. गुडा जाटान खातेदार-

खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान रू०
176	0.1600 हैक्टेयर	चा.प्र.जा.अ.	
204	0.6200 हैक्टेयर	" "	

—कमशः पेज- 3 पर.....



  
सहायक कलेक्टर  
(एस डी.ओ.) देसूरी (पात्ली)

—कमशः अंतिम टिकी पर्चा पेज... ( 3 )...वादी- धीरूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य  
सजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देगुरी

200/1	0.0700 हैक्टेयर	चा.प्र.
198/2	0.1600 हैक्टेयर	चा.प्र.जा.अ.
201/1	0.4400 हैक्टेयर	" "
202/1	0.0900 हैक्टेयर	" "
206/1	0.1600 हैक्टेयर	" "
177/1	0.0100 हैक्टेयर	जा.अ.

कुल खसरो-08 कुल क्षेत्रफल- 1.7100 हैक्टेयर कुल लगान रू०- 43.29

(2)- किकाराम पुत्र नवाराम हिस्सा-8/181 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, दशरथ पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 39/362 जाति- सरगरा सा.मादा खातेदार, दिनेश पुत्र गुलाब हिस्सा 187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र गुलाबराम हिस्सा- 35/1448 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, नेमा पुत्र रामलाल हिस्सा- 187/7240 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, नेमाराम पुत्र रामा हिस्सा- 807/7240 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, नेमाराम पुत्र रामलाल हिस्सा- 187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, नरेश पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 4/181 जाति- सरगरा सा.मादा खातेदार, नारायणलाल पुत्र रामा हिस्सा-187/7240 जाति सरगरा सा.देह खातेदार, प्रकाश पुत्र इन्दाराम हिस्सा-5/181 जाति- सरगरा सा.देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र हीराजी हिस्सा-1/362 जाति- सरगरा सा. सादडी खातेदार, राजाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा-31/362 जाति- मेघवाल सा. सिन्दरली खातेदार, लालाराम पुत्र लच्छा हिस्सा- 1091/3620 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, शंकर पुत्र रामलाल हिस्सा-12/181 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र रामा हिस्सा- 561/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार, सजनो पत्नि रामा हिस्सा- 187/7240 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार-

खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान रू०
175	0.0800 हैक्टेयर	जा.अ.	

—कमशः पेज- 4 पर.....



*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(एस डी ओ) देगुरी (पत्नी)

—कमशः अंतिम डिक्की पर्चा पेज... ( 4 )...वादी- धीसूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य  
राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसुरी

177	0.2400 हैक्टेयर	घा.प्र.जा.अ.
198	0.1600 हैक्टेयर	" "
201	1.2700 हैक्टेयर	" "
202	1.3800 हैक्टेयर	" "
206/2	0.1600 हैक्टेयर	" "
206	0.3300 हैक्टेयर	" "

कुल खसरा-7 कुल क्षेत्रफल- 3.6200 कुल लगान रू0- 80.600

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्की सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्की का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद व शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....++ .....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-15 माह 06 सन् 2022

2022



दस्तखत  
सहायक कलेक्टर  
औहदा (ओ. जे. तारी. पार्की)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	

—कमशः पेज- 5 पर.....

—कमसः अतिम डिडी पर्चा पेज... ( 5 )...वादी- धीरूलाल बनाम प्रतिवादीगण- नारायणलाल व अन्य  
राजस्व मूल वाद संख्या- 36/2017 न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर, देसुरी

---

स्टाम्प वजह सबूत

महनताना वकील

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

बाबत इजराय हुक्मनामा

मिजान

महनताना वकील

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

बाबत इजराय हुक्मनामा

मुत्फरिक

मिजान

---

नोट- इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
09 JUN 2017  
डप को  
देवूरी (पाली)

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BG 907670

राजस्थान RAJASTHAN

गुण 36/2017

देवूरी (पाली) वगैरे वगैरे वगैरे

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देवूरी (पाली)

